भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 321

दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

पंचायतों का विकास

321. श्री संजय सेठ:

डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा पंचायतों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में बेहतर पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए निधियां जारी करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) पंचायती राज मंत्रालय (i) पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरीकरण जैसी ढांचागत/आधारभूत के सहायता के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी), जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है जिसके तहत पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा प्रदायगी और सार्वजनिक सुधार हेतु उनके सर्वश्रेष्ठ काम की मान्यता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और (iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना को लागू कर रहा है, जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है,

जिसके तहत विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को डिजिटलीकरण के लिए वित्तपोषित किया जाता है, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और इसके समग्र परिवर्तन के लिए (इस योजना के तहत राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है) योजनाएं लागू की जा रही है। ये योजनाएं देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू की गई हैं।

(ख) पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए योजनाबद्ध प्रावधानों, पुरस्कार और मान्यता के माध्यम से प्रोत्साहन, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए डिजिटल कार्यों, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है के अलावा, केंद्रीय वित्त आयोग अवार्ड के तहत पीआरआई को उनके बेहतर कार्य निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय वित्त आयोग अवार्ड, आरजीएसए और आईओपी की योजनाओं के तहत धनराशि पंचायतों के विकास के लिए जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के अंतर्गत, आरजीएसए और आईओपी योजनाओं के तहत झारखंड राज्य सहित राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'पंचायतों का विकास' के संबंध में दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायतों के लिए राज्यों को जारी धनराशि का विवरण (30.11.2023 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	1729.23	2336.56	2625.00	1917.85	988.35	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	163.83	221.38	231.00	85.00	-	-
3.	असम	1082.32	1462.45	1604.00	1186.00	1228.00	248.20
4.	बिहार	4199.71	5674.70	5018.00	3709.00	3842.00	1942.00
5.	छत्तीसगढ़	1047.86	1415.89	1454.00	1075.00	1114.00	562.50
6.	गोवा	26.73	36.12	75.00	55.00	-	-
7.	गुजरात	1725.36	2331.33	3195.00	2362.00	2446.00	1236.50
8.	हरियाणा	775.99	1048.53	1264.00	935.00	677.11	-
9.	हिमाचल प्रदेश	361.63	488.64	429.00	317.00	329.00	52.60
10.	जम्मू एवं कश्मीर*	544.83	0.00	NA	NA	NA	NA
11.	झारखंड	1208.24	1632.59	1689.00	1249.00	1293.00	-
12.	कर्नाटक	1841.54	2504.13	3217.00	2375.50	2093.55	423.30
13.	केरल	802.78	1084.73	1628.00	1203.00	1246.00	-
14.	मध्य प्रदेश	2708.78	3660.14	3984.00	2944.00	3050.00	-

15.	महाराष्ट्र	3004.37	4059.55	5827.00	4107.82	3626.14	1069.39
16.	मणिपुर	41.17	55.63	177.00	65.50	-	-
17.	मेघालय#	NA	NA	182.00	40.50	-	-
18.	मिज़ोरम#	NA	NA	93.00	34.50	-	-
19.	नागालैंड#	NA	NA	125.00	92.00	-	-
20.	ओडिशा	1768.44	2389.54	2258.00	1669.00	1728.00	700.88
21.	पंजाब	817.48	1104.58	1388.00	1026.00	1062.00	-
22.	राजस्थान	2724.22	3681.01	3862.00	2854.00	2955.34	-
23.	सिक्किम	29.67	40.09	42.00	31.00	33.00	6.60
24.	तमिलनाडु	1753.87	1821.11	3607.00	2666.00	2761.00	1394.97
25.	तेलंगाना	1071.59	1451.30	1847.00	1365.00	1415.00	715.00
26.	त्रिपुरा	67.07	90.63	191.00	141.00	147.00	29.60
27.	उत्तर प्रदेश	7148.74	9659.47	9752.00	7208.00	7466.00	2680.87
28.	उत्तराखंड	376.19	508.31	574.00	418.70	439.21	88.75
29.	पश्चिम बंगाल	2740.69	3703.25	4412.00	3217.02	3292.85	1648.01
	कुल	**39762.33**	**52461.66**	**60750.00**	**44349.39**	**43232.55**	**12799.17**

* वर्ष 2019-20 से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

चौदहवें वित्त आयोग के तहत गैर-भाग IX राज्यों को धनराशि की अनुशंसा नहीं की गई

अनुबंध II

'पंचायतों का विकास' के संबंध में दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार जारी की गई धनराशि (30.11.2023 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 #
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2	आंध्र प्रदेश	67.69	0.00	22.34	38.54	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	33.19	39.59	0.00	30.07	108.69	60.09
4	असम	39.21	23.22	26.12	44.04	44.34	60.00
5	बिहार	4.25	0.00	0.00	63.77	33.37	0.00
6	छत्तीसगढ़	7.24	0.00	4.04	7.93	0.00	17.57
7	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00		1.14	1.00
	दमन और दीव	0.00	0.00		0.00		
8	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.89
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	हरियाणा	6.99	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.26	10.00	22.10	32.42	60.65	0.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	25.06	6.19	25.00	40.00	40.00	40.00

13	झारखंड	4.49	0.00	2.34	7.74	0.00	31.00
14	कर्नाटक	0.00	0.00	0.44	29.15	36.00	0.00
15	केरल	7.68	0.00	8.13	12.00	30.40	0.00
16	लद्दाख	-	-	2.15	1.08	0.00	0.00
17	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	62.79	85.48	71.42	47.11	14.00	32.17
19	महाराष्ट्र	11.54	8.44	66.76	73.34	37.84	95.445
20	मणिपुर	9.25	4.54	3.41	2.98	8.63	0.00
21	मेघालय	4.44	2.63	3.97	0.00	0.00	6.00
22	मिजोरम	9.85	0.50	21.19	5.56	14.27	10.00
23	नागालैंड	7.89	3.94	3.72	4.58	0.00	10.00
24	ओडिशा	0.00	0.00	2.94	1.33	11.40	27.334
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	29.68	0.00	13.45	10.78	34.25	10.00
27	राजस्थान	25.57	0.00	12.98	17.27	0.00	21.72
28	सिक्किम	5.08	5.10	4.75	1.19	6.01	6.00
29	तमिलनाडु	57.60	5.30	56.88	39.89	25.42	0.00
30	तेलंगाना	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
31	त्रिपुरा	2.77	0.00	2.53	4.67	9.80	0.00
32	उत्तर प्रदेश	57.14	169.92	32.54	83.08	85.05	13.53
33	उत्तराखंड	33.05	23.79	26.75	0.00	42.48	64.670

34	पश्चिम बंगाल	54.94	44.10	33.52	15.14	4.28	33.470
	कुल	**584.65**	**432.74**	**491.34**	**614.25**	**648.02**	**554.949**

* अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 31 जनवरी, 2023 तक (यूसी के अनुसार) और ** दादरा और नगर हवेली: 31 मार्च, 2022 तक।

इसमें एनआईआरडी और अन्य को जारी किए गए 13.47 करोड़ शामिल हैं।

अनुबंध- III

पंचायतों के विकास के संबंध में दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2018-19 से 2023-24 तक (30.11.2023 तक) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार जारी पुरस्कार राशि ।

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.05	0.18	0	0.36	0.75
2.	आंध्र प्रदेश	2.34	2.2	2.47	2.95	2.59	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.5	0.15	0.85	0.85	0
4.	असम	1.3	0.97	1.59	1.62	1.59	0.50
5.	बिहार	0.43	0.25	2.76	2.27	2.3	0
6.	छत्तीसगढ़	1.29	1.55	1.54	1.6	1.69	1.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0.7	0.35	0.25	2.00
8.	दमन और दीव	0	0	0.35	0.32		
9.	गोवा	0	0	0	0	0	0
10.	गुजरात	1.52	0.05	3.62	1.88	1.87	0
11.	हरियाणा	1.58	0.05	2.86	1.48	0.58	0
12.	हिमाचल प्रदेश	1.36	1.33	1.54	1.41	1.44	0
13.	जम्मू एवं कश्मीर	0.08	0.05	0.6	0.36	1.4	2.00
14.	झारखंड	1.07	1.36	1.52	1.59	1.59	1.00
15.	कर्नाटक	1.55	1.63	0.1	1.87	2.67	0
16.	केरल	1.55	0.25	1.75	2.1	2.65	4.25

17.	लद्दाख	0	0	0	0	0.43	0
18.	लक्षद्वीप	0	0	0.05	0.3	0	0
19.	मध्य प्रदेश	2.53	2.35	0.05	5.13	2.72	0
20.	महाराष्ट्र	2.46	0	2.31	4.6	2.71	3.50
21.	मणिपुर	0.7	0.78	0.25	1.76	0.94	0
22.	मेघालय	0	0.05	0	0.05	0.05	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0.25	0.3	1.50
24.	नागालैंड	0	0	0.26	0.36	0	0
25.	ओडिशा	4.19	0	2.97	1.87	2.89	10.50
26.	पंजाब	1.64	1.62	1.64	1.74	1.68	0
27.	राजस्थान	1.54	1.34	1.83	1.72	1.88	0
28.	सिक्किम	0.85	0.81	0.86	0.86	0.86	0
29.	तमिलनाडु	1.86	0.05	3.56	1.87	1.8	1.00
30.	तेलंगाना	1.42	0.05	2.91	1.68	2.46	12.50
31.	त्रिपुरा	0.93	1.06	1.36	1.43	1.4	1.50
32.	उत्तराखंड	1.33	0.05	2.96	1.49	1.51	0
33.	उत्तर प्रदेश	4.65	4.7	4.79	4.78	3.83	1.75
34.	पश्चिम बंगाल	1.75	1.6	1.65	1.95	2.75	0
कुल		**40.42**	**24.7**	**49.18**	**52.49**	**50.19**	**43.75**

*****